न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : **श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S**

राजस्व वाद संख्या : **51/21 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS NO. :- 2021/703

अनवान

1. श्री आजाद खां पिता श्री स्व गुलाब खां जाति मुसलमान निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

............प्रार्थी

बनाम्

1. श्री कन्हैयालाल पिता श्री हंसराज जी मेनारिया निवासी राजपुरा नया तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री गेदमल पिता श्री जगनाथ जी तम्बोली निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, कानोड जिला उदयपुर (राज0)।

..........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 22.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानोड ए पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 में खाता संख्या नई 32 की आराजी नम्बर 159/10 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वर्तमान में प्रार्थी के नाम दर्ज है। विपक्षीगण प्रार्थी के पडोसी है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी संख्या 2 बावजुज सूचना के अनुपस्थित है। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:48 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए

उपखण्ड अधिकारी

पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानोड ए पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 में खाता संख्या नई 32 की आराजी नम्बर 159/10 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू–प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नम्बरान के आधार पर पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुदा होकर [illegible] से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।